न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : लोक बंधु, आई०ए०एस०

राजस्व अपील सं. 03/2021

अपीलांट्स – *बनाम* **रेस्पोडेंट्स–**

अपीलांट्स –

1. ईश्वराराम पुत्र राजूराम
2. भीयाराम पुत्र राजूराम
3. किशनाराम पुत्र राजूराम
4. कानाराम पुत्र राजूराम
5. तेजाराम पुत्र राजूराम

जातियान मेघवंशी निवासीयान
लूणाकला तहसील सिणधरी
जिला बाड़मेर

रेस्पोडेंट्स–

1. सार्वजनिक निर्माण विभाग सिणधरी
2. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तरकरण सं. 107 दिनांक 03.05.1984 जो तहसीलदार सिणधरी द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री अमृतलाल जैन, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से उपस्थित।
2. श्री रतनाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 29.08.2022

1. अपीलांट्स की ओर से प्रस्तुत अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत ग्राम भलखाड़ी तहसील सिणधरी के नामान्तरकरण सं. 107 पर तहसीलदार सिणधरी द्वारा पारित स्वीकृति आदेश दिनांक 03.05.1984 के विरूद्ध दिनांक 18.01.2021 को इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौजा भलखड़ी तहसील सिणधरी के खसरा नंबर 48 रकबा 14–19 बीघा भू[illegible] इस के पूर्वज खातेदार राजू पुत्र भूरा कौम मेघवाल गै[illegible] भूमि में से 11–4 बीघा भूमि में से सड़क निकलने से अपीला[illegible] भूमि के खसरा नं[illegible]/1

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.09.22 16:28:22 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर

रकबा 11–4 बीघा भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम से नामान्तरित कर तरमीम कर दी गई। हलका पटवारी पायलाखुर्द द्वारा नामान्तरकरण सं. 107 सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज कर तहसीलदार सिणधरी के समक्ष प्रस्तुत किया। तहसीलदार सिणधरी द्वारा अपीलाधीन भूमि सड़क मे जाने से उक्त नामान्तरकरण आदेश दिनांक 03.05.1984 को स्वीकृत कर दिया। अपीलांट ने तहसीलदार सिणधरी द्वारा पारित उक्त नामान्तरकरण के स्वीकृति आदेश के विरूद्ध यह प्रथम अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत दिनांक 18.01.2021 को प्रस्तुत की गई है। इस अपील के संलग्न धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र एवं शपथ–पत्र प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने का निवेदन किया है।

3. अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष के अधिवक्तागण को सुना। अपीलांट्स के अधिवक्ता ने प्रकट किया कि मौजा मौजा भलखड़ी तहसील सिणधरी के खसरा नंबर 48 रकबा 14–19 बीघा भूमि अपीलांट्स के पूर्वज खातेदार राजू पुत्र भूरा कौम मेघवाल गैर खातेदार के नाम दर्ज थी। उक्त भूमि में से 11–4 बीघा भूमि में से सड़क निकलने से अपीलाधीन भूमि के खसरा नंबर 48/1 रकबा 11–4 बीघा भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम से नामान्तरित कर तरमीम कर दी गई तथा इसका कोई मुआवजा अपीलांट्स के पिता को नहीं दिया गया। हलका पटवारी पायलाखुर्द द्वारा नामान्तरकरण सं. 107 सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज कर तहसीलदार सिणधरी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार सिणधरी द्वारा अपीलाधीन भूमि सड़क मे जाने से उक्त नामान्तरकरण आदेश दिनांक 03.05.1984 को स्वीकृत कर दिया गया। अधिवक्ता अपीलांट्स ने यह भी प्रकट किया कि खसरा नंबर 48 की अपीलाधीन भूमि पर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सड़क का निर्माण

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.09.22 16:28:22 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

नहीं किया गया बल्कि सड़क का निर्माण खसरा नंबर 49 की भूमि पर किया गया है। अपीलांट्स के पूर्वज राजूराम अनुसूचित जाति वर्ग का होने से उसे 14–19 बीघा भूमि का आवंटन किया गया था। उक्त भूमि पर न तो पूर्व में सड़क प्रस्तावित थी और न ही वर्तमान में सड़क का निर्माण है। राजूराम के खातेदारी की भूमि को विधिवत आवंटित किये बिना और राजूराम को मुआवजा दिये बिना राजूराम से उक्त भूमि छीनी नहीं जा सकती है। अपीलांट्स की भूमि को बदनीयती से छीनने के दृष्टिकोण से अवैध तरीके से सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम नामान्तरित करने के आदेश विधिविरूद्ध एवं अनुसूचित जाति के व्यक्ति के प्रति अन्यायपूर्ण होने से अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 107 Ab-initio void होने से खारिज योग्य है। लिहाजा तहसीलदार सिणधरी द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 107 दिनांक 03.05.1984 निरस्त फरमाया जावे तथा विवादित भूमि का नामान्तरकरण अपीलांट्स के नाम से भरने का आदेश फरमाया जावे।

5. अधिवक्ता अपीलांट्स ने यह भी निवेदन किया कि 10–15 दिन पूर्व पटवार हलका द्वारा अपीलांट्स के पिता राजूराम को आवंटित भूमि में से 11–4 बीघा भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज होने तथा अपीलांट्स के नाम मात्र 3–15 बीघा भूमि रहने बाबत बात बताई तब अपीलांट्स द्वारा दस्तावेजों की नकलें प्राप्त की। इस प्रकार दस्तावेजों की प्राप्ति होने पर ही अपीलांट्स को उनकी भूमि छिन जाने की जानकारी हुई। अपीलाधीन नामान्तरकरण की जानकारी होने के तिथि से यह अपील अन्दर मयाद प्रस्तुत की गई है। अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने के लिए धारा 5 मयाद अधिनियम प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत करते हुए अपील अन्दर मयाद शुमार करने का निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.09.22 16:28:22 IST
Reason: SelfAttested

6. रेस्पोडेंट्स की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृति आदेश दिनांक 03.05.1984 को पारित हुआ है।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

अपीलांट्स द्वारा इस नामान्तरकरण स्वीकृति आदेश के विरूद्ध करीब 36 वर्ष की लम्बी समयावधि के बाद यह अपील प्रस्तुत की गई है जो मयाद बाहर है। अपीलांट्स द्वारा मयाद के संबंध में कोई ठोस एवं तथ्यात्मक विवरण अंकित नहीं किया गया है जबकि मयाद अवधि के शमन हेतु प्रत्येक दिन के विलम्ब का कारण दिया जाना आवश्यक है। लिहाजा अपीलांट्स की यह अपील मयाद के बिन्दु पर ही खारिज योग्य होने से सव्यय खारिज की जावे।

7. हमने अधिवक्ता अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया जिससे यह पाया जाता हैं कि मौजा भलखड़ी तहसील सिणधरी के खसरा नंबर 48 रकबा 14–19 बीघा भूमि अपीलांट्स के पूर्वज खातेदार राजू पुत्र भूरा कौम मेघवाल गैर खातेदार के नाम दर्ज थी। उक्त भूमि में से 11–4 बीघा भूमि में से सड़क निकलने से अपीलाधीन भूमि के खसरा नंबर 48/1 रकबा 11–4 बीघा भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम से नामान्तरित कर तरमीम कर दी गई। तहसीलदार सिणधरी द्वारा अपीलाधीन भूमि सड़क मे जाने से उक्त नामान्तरकरण आदेश दिनांक 03.05.1984 को स्वीकृत कर दिया। अपीलांट्स ने तहसीलदार सिणधरी द्वारा पारित उक्त नामान्तरकरण के स्वीकृति आदेश के विरूद्ध यह प्रथम अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत दिनांक 18.01.2021 को प्रस्तुत की गई है। अपीलांट्स द्वारा यह अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के संबंध में जो प्रार्थना–पत्र एवं शपथ–पत्र प्रस्तुत किया है उसमें अंकित किया है कि 10–15 दिन पूर्व पटवार हलका द्वारा अपीलांट्स के पिता राजूराम को आवंटित भूमि में से 11–4 बीघा भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज होने तथा अपीलांट्स के नाम मात्र 3–15 बीघा भूमि रहने बाबत बात बताई तब अपीलांट्स द्वारा दस्तावेजी [illegible] प्राप्त की। इस प्रकार दस्तावेजों की प्राप्ति होने [illegible] भूमि छिन जाने की जानकारी हुई। अपीलाधीन नामान्तरकरण करीब 36 वर्ष पूर्व पारित हुआ है तथा मौके पर सड़क निर्माण होने से उसकी तरमीम एवं राजस्व रेकर्ड जमाबंदी

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.09.22 16:28:22 IST
Reason: SelfAttested

में भी इन्द्राज किये गये हैं। ऐसे में अपीलांट्स का यह कहना कि उन्हें अपीलाधीन नामान्तरकरण की जानकारी नहीं हुई मानने योग्य नहीं है। अपीलांट्स द्वारा इसके अलावा कोई ठोस एवं तथ्यात्मक कारण प्रकट नहीं किया है। लिहाजा अपीलांट्स की अपील मयाद बाहर होने से काबिल खारिज है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट् द्वारा प्रस्तुत यह अपील मयाद बाहर होने से खारिज की जाती है।

9. निर्णय आज दिनांक 29.08.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Low

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.09.22 16:28:22 IST
Reason: SelfAttested